



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : टीएससी-46/2014

दिनांक : 13-10-2014

नियुक्ति आदेश

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, 1861) की धारा 2 एवं "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ में सीधी भर्ती के रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात मई 2014 में जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार पुत्र श्री रतन प्रसाद सिन्हा, निवासी: मो. व थाना लोहिया नगर, नियर मछली पानी टंकी, पो.- सुहिर्द नगर, बेगूसराय, बिहार-851218 को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन रू० 2400) में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह पद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय है।

यदि आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी दशा में आप किसी क्षतिपूर्ति आदि के दावेदार नहीं होंगे। आपकी नियुक्ति प्रथमतः जनपद वाराणसी में की जाती है।

अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे।

यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा मई 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार होगी।

(नेहा पाण्डेय)

पुलिस अधीक्षक
तकनीकी सेवाएँ, मुख्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन,
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र वाराणसी ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद वाराणसी को इस अनुरोध के साथ कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए आगमन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

1. अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निजी व्यय पर 07 दिवस के अन्दर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को अपने आगमन की सूचना दें। यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु बिना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसरों से वंचित कर दिये जायेंगे तथा उनका नाम अनुमोदित सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : टीएससी-46/2014

दिनांक : 13-10-2014

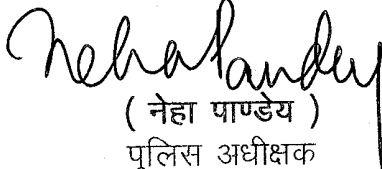
नियुक्ति आदेश

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, 1861) की धारा 2 एवं "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ में सीधी भर्ती के रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात मई 2014 में जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री अभय कुमार पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद, निवासी: ग्राम व पो.-निश्चलगंज, थाना-एकंगर सराय, नालन्दा, बिहार-801301 को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन रु0 2400) में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह पद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय है।

यदि आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी दशा में आप किसी क्षतिपूर्ति आदि के दावेदार नहीं होंगे। आपकी नियुक्ति प्रथमतः जनपद आगरा में की जाती है।

अभ्यर्थी श्री अभय कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा मई 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार होगी।


(नेहा पाण्डेय)
पुलिस अधीक्षक
तकनीकी सेवाएँ, मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन,
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र आगरा ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद आगरा को इस अनुरोध के साथ कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए आगमन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रजिस्टर्ड डांक द्वारा

1. अभ्यर्थी श्री अभय कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निजी व्यय पर 07 दिवस के अन्दर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा को अपने आगमन की सूचना दें। यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु बिना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसरों से वंचित कर दिये जायेंगे तथा उनका नाम अनुमोदित सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : टीएससी-46/2014

दिनांक : 13-09-2014

नियुक्ति आदेश

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, 1861) की धारा 2 एवं "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ में सीधी भर्ती के रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात मई 2014 में जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री कुश्वजीत कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व. रमेश प्रसाद गुप्ता, निवासी: थाना रोड पो. व थाना-बहादुरगंज, किशनगंज बिहार-855101 को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन रु 2400) में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह पद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय है।

यदि आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी दशा में आप किसी क्षतिपूर्ति आदि के दावेदार नहीं होंगे। आपकी नियुक्ति प्रथमतः जनपद झांसी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाती है।

अभ्यर्थी श्री कुश्वजीत कुमार गुप्ता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे।

यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा मई 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार होगी।


(नेहा पाण्डेय)
पुलिस अधीक्षक
तकनीकी सेवाएं, मुख्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन,
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र झांसी ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद झांसी को इस अनुरोध के साथ कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए आगमन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

1. अभ्यर्थी श्री कुशवजीत कुमार गुप्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने मूल नियुक्ति : आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निजी व्यय पर 07 दिवस के अन्दर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी को अपने आगमन की सूचना दें। यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु बिना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसरों से वंचित कर दिये जायेंगे तथा उनका नाम अनुमोदित सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : टीएससी-46/2014

दिनांक : 13-10-2014

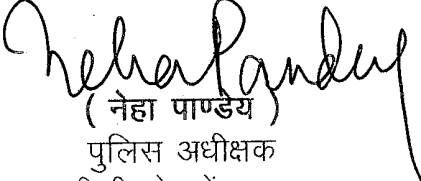
नियुक्ति आदेश

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, 1861) की धारा 2 एवं "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ में सीधी भर्ती के रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के पश्चात मई 2014 में जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री रूपेश कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार रजक, निवासी: एट-महदत्तपुर, पो.-यमुनियों थाना नवगछिया, भागलपुर, बिहार-853202 को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन रु0 2400) में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यह पद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय है।

यदि आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी दशा में आप किसी क्षतिपूर्ति आदि के दावेदार नहीं होंगे। आपकी नियुक्ति प्रथमतः जनपद बलिया में की जाती है।

अभ्यर्थी श्री रूपेश कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा मई 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार होगी।


(नेहा पाण्डेय)
पुलिस अधीक्षक
तकनीकी सेवाएं, मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन,
6. पुलिस उ० महानिरीक्षक, परिक्षेत्र आजमगढ़ ।
7. पुलिस उ० महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद बलिया को इस अनुरोध के साथ कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए आगमन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

1. अभ्यर्थी श्री रूपेश कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने मूल नियुक्ति आदेश व वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निजी व्यय पर 07 दिवस के अन्दर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया को अपने आगमन की सूचना दें। यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु बिना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसरों से वंचित कर दिये जायेंगे तथा उनका नाम अनुमोदित सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।